उत्तर प्रदेश होमियोपैथिक मेडिसिन बोर्ड

होमियोपैथी भवन

2, नबीउल्लाह मार्ग, लखनऊ—226018

दूरभाष : 0522—2961801
फैक्स : 0522—2616638

पत्रांक........../एच0एम0बी0/ — दिनांक 26-03-2019

<u>कार्यालय—ज्ञाप</u>

दो वर्षीय होम्योपैथिक भेषजिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (डी0एच0पी0) उत्तीर्ण छात्र—छात्राओं को उक्त पाठ्यक्रम के अन्तर्गत व्यवहारिक अनुभव के लिए 03 माह का अनिवार्य इन्टर्नशिप किये जाने हेतु उन्हें बोर्ड कार्यालय द्वारा अस्थायी पंजीकरण प्रमाण—पत्र निर्गत किया जाता है, जिसके क्रम में डी0एच0पी0 उत्तीर्ण कतिपय छात्र—छात्राओं को उक्त अनिवार्य इन्टर्नशिप किये जाने हेतु बोर्ड कार्यालय द्वारा अस्थायी पंजीकरण प्रमाण—पत्र निर्गत किया गया है, जो विभिन्न डी0एच0पी0 कालेजों में वर्तमान में इन्टर्नशिप कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में इन्टर्नशिप कर रहे उक्त समस्त छात्र—छात्राओं को बोर्ड कार्यालय द्वारा निर्गत किये गये अस्थायी पंजीकरण प्रमाण—पत्रों को सम्यक् विचारोपरान्त एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

2— उपरोक्त छात्र—छात्राओं को बोर्ड कार्यालय द्वारा निर्गत उक्त अस्थायी पंजीकरण निरस्त किये जाने के फलस्वरूप उनका इन्टर्नशिप यथास्थान यथावत् चलता रहेगा।

(डा0अनिल कुमार मिश्र)
रजिस्ट्रार।

<u>संख्या—823-29/एच0एम0बी0/62/2019 तद्दिनॉक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

(1) मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, इलहाहाबाद को इस अनुरोध के साथ कि कृपया व्यवहार प्रकीर्ण याचिका सं0—4114/2019 हरि ओम् सिंह पुत्र श्री त्रिभुवन नाथ कुशवाहा एवं 27 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को अवगत कराने की कृपा करें।

(2) सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, आयुष अनुभाग—2

(3) वैयक्तिक सहायक, अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड, लखनऊ को मा0 अध्यक्ष के सूचनार्थ।

(4) निदेशक, होम्योपैथी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(5) प्राचार्य, समस्त डी0एच0पी0कालेज, उत्तर प्रदेश।

(6) कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

(7) गार्ड फाईल।

(डा0अनिल कुमार मिश्र)
रजिस्ट्रार।